

रांची समाहरणालय, रांची
(विकास शाखा)
कार्यालय आदेश

विधायक योजना (सामान्य मद)

माननीय श्री सुदेश कुमार महतो ~~संसद~~/विधायक/~~प्रमद~~ द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय ~~संसद~~/विधायक/~~प्रमद~~ की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/~~उप आयुक्त, रांची~~ द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि शैथिली भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिल्ली/कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिल्ली, उप विकास आयुक्त रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

| क्रम सं० | योजना का नाम | प्राक्कलित राशि लाख में | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में) | विमुक्त राशि (लाख में) 100 प्रतिशत |
|----------|---|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | घाघरा में पी0सी0सी0 पथ निर्माण | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2. | हजाम हरिजन टोला में वाचनालय निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 3. | तुकु में पी0सी0सी0 निर्माण | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4. | दोबाडू (कदम बेडा) में वाचनालय निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 5. | दोबाडू (बुढ़ा गुज) में वाचनालय निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 6. | दोबाडू (काशीपीड़ी) में वाचनालय निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 7. | दोबाडू (पाडू कोचा) में वाचनालय निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 8. | दोबाडू (सालगादीपा) में वाचनालय निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 9. | लोटा (घिताटॉड) में वाचनालय (म0स0) निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 10. | श्यामनगर में वाचनालय (म0स0) निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 11. | डोमाडीह में वाचनालय (म0स0) निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 12. | झाबरी में वाचनालय (म0स0) निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 13. | सुलुमजुड़ी मदरसा में चाहरदिवारी निर्माण | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 14. | मेदनी में पी0सी0सी0 पथ निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| | | | | 25.50 |

कुल:-

प्राक्कलित राशि - 25.50 (कुल पच्चीस लाख पचास हजार रुपये मात्र)
विमुक्त राशि - 25.50 (कुल पच्चीस लाख पचास हजार रुपये मात्र)

उप विकास आयुक्त, रांची।

रांची समाहरणालय, रांची
(विकास शाखा)
कार्यालय आदेश
विधायक कोष (सामान्य मद)

माननीय श्री सुदेश कुमार महतो, विधायक/प्रभर्षद द्वारा अनुसंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-II रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/प्रभर्षद की अनुसंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी./अंगुलाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-II रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियन्ता कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-II रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र0वि0पदा0 सिल्ली/अं0मदा0/ कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-II रांची/उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

| क्रम सं० | योजना का नाम | प्राक्कलित राशि लाख में | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | विमुक्त राशि (लाख में) |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | घाघरा में चबुतरा निर्माण | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 2. | घाघरा में चबुतरा नि० | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 3. | कोचा जारा सिल्लीडीह में चबुतरा नि० | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 4. | जालुम जीडी में चबुतरा नि० | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 5. | धानामुजी में कुप मरम्मति | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 6. | धानामुजी में कुप मरम्मति | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 7. | धानामुजी में कुप मरम्मति | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 8. | लोटा बीच टोला में कुप मरम्मति | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 9. | जरा गोदा में कुप मरम्मति | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 10. | वाहमणी में मदरसा के पास कुप निर्माण | 0.15 | 0.15 | 0.15 |

कुल:-

1.90

प्राक्कलित राशि:-1.90(कुल एक लाख नब्बे हजार रुपये मात्र)

विमुक्त राशि:-1.90(कुल एक लाख नब्बे हजार रुपये मात्र)

नोट:1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर
पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

उप विकास आयुक्त,
रांची।

ज्ञापक-424/रॉची दिनांक-24/04/10

प्रतिलिपि:- माननीय श्री सुदेश कुमार महतो, विधायक / कार्यपालक अभियन्ता, एन० आर० ई० पी०-II रांची / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा को चेक निर्मत करने हेतु प्रेषित।

[Signature]
उप विकास आयुक्त,
रांची।

| सीमा क्षेत्र का नाम | अधिकृत के संकुचित क्षेत्र | सीमा अधिकृत के नाम |
|---------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 21.1 | 21.1 |
| 2 | 21.2 | 21.2 |
| 3 | 21.3 | 21.3 |
| 4 | 21.4 | 21.4 |
| 5 | 21.5 | 21.5 |
| 6 | 21.6 | 21.6 |
| 7 | 21.7 | 21.7 |
| 8 | 21.8 | 21.8 |
| 9 | 21.9 | 21.9 |
| 10 | 21.10 | 21.10 |
| 11 | 21.11 | 21.11 |
| 12 | 21.12 | 21.12 |
| 13 | 21.13 | 21.13 |
| 14 | 21.14 | 21.14 |
| 15 | 21.15 | 21.15 |
| 16 | 21.16 | 21.16 |
| 17 | 21.17 | 21.17 |
| 18 | 21.18 | 21.18 |
| 19 | 21.19 | 21.19 |
| 20 | 21.20 | 21.20 |

रांची समाहरणालय,रांची

(विकास शाखा)

कार्यालय आदेश

विधायक योजना (सामान्य मद)

माननीय श्री सुदेश कुमार महतो विधायक द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II राँची द्वारा प्रदान की गई है।माननीय विधायक की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय के ज्ञापांक-357 दिनांक-03.04.2010 द्वारा प्रदान की गई है जिसमें अंशिक संशोधन किया जाता है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो,योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यान्वयन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिल्ली द्वारा किया जायगा एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, राँची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिल्ली, उप विकास आयुक्त राँची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

| क्रम सं० | योजना का नाम | प्राक्कलित राशि लाख में | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में) | विमुक्त राशि (लाख में) 100 प्रतिशत |
|----------|---|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | धाधरा में पी0सी0सी0 पथ निर्माण | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2. | हजाम हरिजन टोला में वाचनालाय निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 3. | तुकु में पी0सी0सी0 निर्माण | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4. | दोबाडू (कदम बेडा) में वाचनालय निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 5. | दोबाडू (बुड़ा गुजू) में वाचनालय निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 6. | दोबाडू (काशीपीड़ी) में वाचनालय निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 7. | दोबाडू (पाडू कोचा) में वाचनालय निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 8. | दोबाडू (सालगादीपा) में वाचनालय निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 9. | लोटा (चिताटॉड) में वाचनालय (म0स0) निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 10. | श्यामनगर में वाचनालय (म0स0)निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 11. | डोमाडीह में वाचनालय (म0स0) निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 12. | झाबरी में वाचनालय (म0स0) निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 13. | सुलुमजुड़ी मदरसा में चाहरदिवारी निर्माण | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 14. | मेदनी में पी0सी0सी0 पथ निर्माण | 1.50 | 1.50 | 1.50 |

कुल:-

25.50

प्राक्कलित राशि -25.50(कुल पचीस लाख पचास हजार रूपये मात्र)
विमुक्त राशि:- 25.50(कुल पचीस लाख पचास हजार रूपये मात्र)

Get
उप विकास आयुक्त,
राँची।

झापांक-454 iii/ राँची दिनांक-03/05/10

- प्रतिलिपि:-1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0-2, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
उपरोक्त योजना हेतु उपलब्ध कराई गई राशि 25.50 लाख रूपये विकास शाखा, राँची को लौटाने का कष्ट करेंगे।
3. नाजीर ,विकास शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

03/05/10
उप विकास आयुक्त,
राँची।

रांची समाहरणालय, रांची
(विकास शाखा)
कार्यालय आदेश

विधायक योजना (जल समृद्धि मद)

माननीय श्री सुदेश कुमार महतो विधायक द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय विधायक की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय के ज्ञापांक-357 दिनांक-03.04.2010 द्वारा प्रदान की गई है जिसमें अशिक संशोधन किया जाता है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यान्वयन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनाहातु करेंगे एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनाहातु उप विकास आयुक्त रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

| क्रम सं० | योजना का नाम | प्राक्कलित राशि लाख में | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में) | विमुक्त राशि (लाख में) |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1. | सी0सी0 टॉड राहे में कुप मरम्माति | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2. | बालुवाडीह हरि टोला में कुप मरम्माति | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 3. | जामुदाग में पेय कुप मरम्माति | 0.15 | 0.15 | 0.15 |

कुल:-

0.45

प्राक्कलित राशि -0.45(कुल पैतालीस हजार रुपये मात्र)

विमुक्त राशि:- 0.45(कुल पैतालीस हजार रुपये मात्र)

नोट-1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

col

ज्ञापांक-495/III, रांची दिनांक-12/05/10 उप विकास आयुक्त, रांची।
प्रतिलिपि:-1. माननीय विधायक श्री सुदेश कुमार महतो को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनाहातु को सूचनार्थ प्रेषित।
3. नाजीर, विकास शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त, रांची

